संख्या-02/2026/।/1204971/2026/001-77-3002-003-21-2025

प्रेषक,

निर्मेष कुमार शुक्ल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा, कन्नौज, मैनपुरी,
फर्रूखाबाद, हरदोई, शाहजहापुर

औद्योगिक विकास अनुभाग-03 लखनऊ : दिनांक 13.01.2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा के पत्रांक 1938/यूपीडा/बजट-जेवर/25-26 दिनांक 18.12.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना विकसित किये जाने हेतु भूमि क्रय के लिए धनराशि का आवंटन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या 07 के लेखाशीर्षक 5054-03-337-23-आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे जनपद हरदोई वाया फर्रूखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना-60 भूमि क्रय मद के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 89500.00 लाख में से जिलाधिकारी, इटावा को रू0 7500.00 लाख, जिलाधिकारी, कन्नौज को रू0 630.00 लाख, जिलाधिकारी, मैनपुरी को रू0 30000.00 लाख, जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद को रू0 46620.00 लाख, जिलाधिकारी, हरदोई को रू0 2100.00 लाख तथा जिलाधिकारी, शाहजहापुर को रू0 2650.00 लाख अर्थात कुल रू0 89500.00 लाख की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जाती है-

(1) धनराशि आहरित करके जिलाधिकारी, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, हरदोई एवं शाहजहापुर के डिपाजिट खाते में जमा की जायेगी।

(2) उक्त धनराशि का आहरण डिपाजिट खाते से केवल तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) धनराशि का आहरण करके यूपीडा के बैंक खाते में अथवा किसी अन्य बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4) यूपीडा का यह दायित्व है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष जिलाधिकारी, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, हरदोई एवं शाहजहापुर से व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने को पूर्णरूप से संतुष्ट करने के उपरान्त शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(5) धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त नियमानुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि के व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.03.2025 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

(7) किसी भी परिस्थिति में धनराशि को आहरित कर बैंक अथवा पी0एल0ए0 खाते में नहीं रखी जायेगी।

(8) किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए जिलाधिकारी, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, हरदोई एवं शाहजहापुर उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 8,95,00,00,000 (रुपये आठ अरब पंचानबे करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025 - 26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 5054033372300 आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रस्तावित प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे **मानक मद** 60 भूमि क्रय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-117-X-2025-26-दिनांक:13-1-2026 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्रीजी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीडा, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ।
4. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
5. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,कोषागार, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी,फर्रूखाबाद, हरदोई, शाहजहापुर
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. वित्त नियंत्रक, यूपीडा, पर्यटन भवन गोमती लखनऊ लखनऊ।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन ।
11. वित्त (ई-6) अनुभाग-6/औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. नोडल बजट एलाटमेन्ट सिस्टम।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।